तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
	खेमसिंह बनाम लो.सू.अ. (तहसीलदार लूणी) सू.अ.अ. अपील संख्या 171/2019
21.10.19	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी खेमसिंह पुत्र गण्पतसिंह निवासी शिकारपुरा तहसील लूणी, जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 23.07.19 में उसके द्वारा (1) श्रीमान् तहसीलदार लूणी के द्वारा राजस्व गांव कांकाणी में लगे हुए स्टोन क्रेशर के संबंध में माडल प्रमाण पत्र वर्ष 2000–2001 से 2019–2020 तक स्टोन क्रेशर की आबादी एवं अन्य क्षेत्रों की दूरी को सत्यापित किये गये मैं0 सरुजाराम पुत्र हिमताराम निवासी बुचेटी तहसील भोपालगढ के नाम से राजस्थान स्टोन क्रेशर इण्डस्ट्रीज की स्वीकृत लीज 16/86 जो खसरा नम्बर 587 में स्थित हेतु हलका पटवारी एवं तहसीलदार द्वारा जारी प्रमाण पत्र की नियमानुसार प्रमाणित छात्रा प्रति, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार लूणी) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (तहसीलदार लूणी) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थीपक्ष अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.(तहसीलदार लूणी) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार लूणी) को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के बारे में प्रार्थी को 15 दिवस में उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Rajpurohit
Date: 2019.11.09 11:08:55 IST
Reason: SelfAttested